सं-मिस/सीडीएन-2/19

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए. नई दिल्ली
दिनांक: 25.02.2020

विषय: नव-नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा आयोग को पदभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

आयोग के दिनांक 26.08.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं0 मिस/सीडीएन-2/19 का संदर्भ लें जिसके द्वारा नव-नियुक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी गई थी कि वे मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद अपनी पदग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

2. यह देखा गया है कि कुछ मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा आयोग के उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आयोग तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी अपना पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर आयोग में आएंगे तथा पदग्रहण रिपोर्ट की प्रति सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को व्यक्तिगत रूप से देंगे।

3. सभी पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त अनुदेश का पालन सुनिश्चित करें।

पी. के.
(पी.के. महान्ती)
विशेष कार्य अधिकारी

प्रति

सभी पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी